भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2015
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

अनुदान में अंतर

2015. श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश :
क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले अनुदान में अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का पीएमएवाई के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समान अनुदान प्रदान करने का विचार है;
(ग) क्या पीएमएवाई के अंतर्गत अनुदान समय पर नहीं दिया जाता है और यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत भविष्य में अनुदान की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की योजना बना रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) से (घ):

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता उपलब्ध करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2029 तक बुनियादी सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। दिनांक 06.03.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.79 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित

किया गया है, जिनमें से 3.53 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं और 2.71 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत, मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों में (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र सहित) 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। इकाई सहायता के अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ-साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से लाभार्थियों को 90/95 श्रमदिवस की अकुशल मजदूरी भी प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य विशिष्ट स्रोत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार मार्च, 2029 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई इकाई सहायता केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार है और इकाई सहायता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। केंद्रीय अंश जारी करना इस योजना और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शेष लक्ष्यों, लंबित देयता, राज्य के अंश की राशि जारी करने सहित निधियों के उपयोग, उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने आदि पर निर्भर करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2016 से पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश की राशि जारी कर रहा है और दिनांक 05.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश के कुल 2,48,694.53 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू

आवास और शहरी मामले मंत्रालय , 'सभी के लिए आवास ' के उद्देश्य के तहत , देशभर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) , निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणियों के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले पक्के आवास प्रदान करने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों का निर्माण केंद्रीय सहायता , राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के योगदान का उपयोग करके किया जा रहा है। भारत सरकार पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी घटक के तहत 1.5 लाख रुपये की निश्चित केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। तथापि , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हिस्से का अंशदान इस प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे किफायती आवास बनाए जा सके। वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के लिए निधियां जारी की जाती हैं। वित्त पोषण पद्धति और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि , जो पहले 31.03.2022 तक थी उसे 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू को लागू करने से प्राप्त 9 वर्ष के अनुभव और ज्ञान के आधार पर, अवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देशभर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि 04 घटकों अर्थात लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी) , भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण किया जा सके , खरीदा और किराए पर लिया जा सके। बीएलसी , एएचपी और एआरएच घटक का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जाता है , और आईएसएस घटक का कार्यान्वयन आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) , भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हडको) जैसी नामित केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में किया जाता है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार , इस योजना के तहत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए आवश्यक निधि केन्द्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है और इस योजना के तहत राज्य हिस्से के संबंध में अनिवार्य प्रावधान निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएवाई-यू 2.0 घटक		
		बीएलसी और एएचपी	एआरएच	आईएसएस
1.	उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली)	केंद्र सरकार - 2.25 लाख रुपए प्रति इकाई, राज्य सरकार - न्यूनतम 0.25 लाख रुपए प्रति इकाई	प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान भारत सरकार: 3,000 रुपए/वर्गमीटर प्रति इकाई राज्य का हिस्सा: 2,000 रुपए /वर्गमीटर प्रति इकाई	गृह ऋण सब्सिडी – केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति इकाई 1.80 लाख रुपए (वास्तविक जारी राशि) तक
2.	विधायिका रहित सभी संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र सरकार - 2.50 लाख रुपए प्रति इकाई		
3.	अन्य सभी राज्य	केंद्र सरकार - 1.50 लाख रुपए प्रति इकाई, राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रुपए प्रति इकाई		

*****